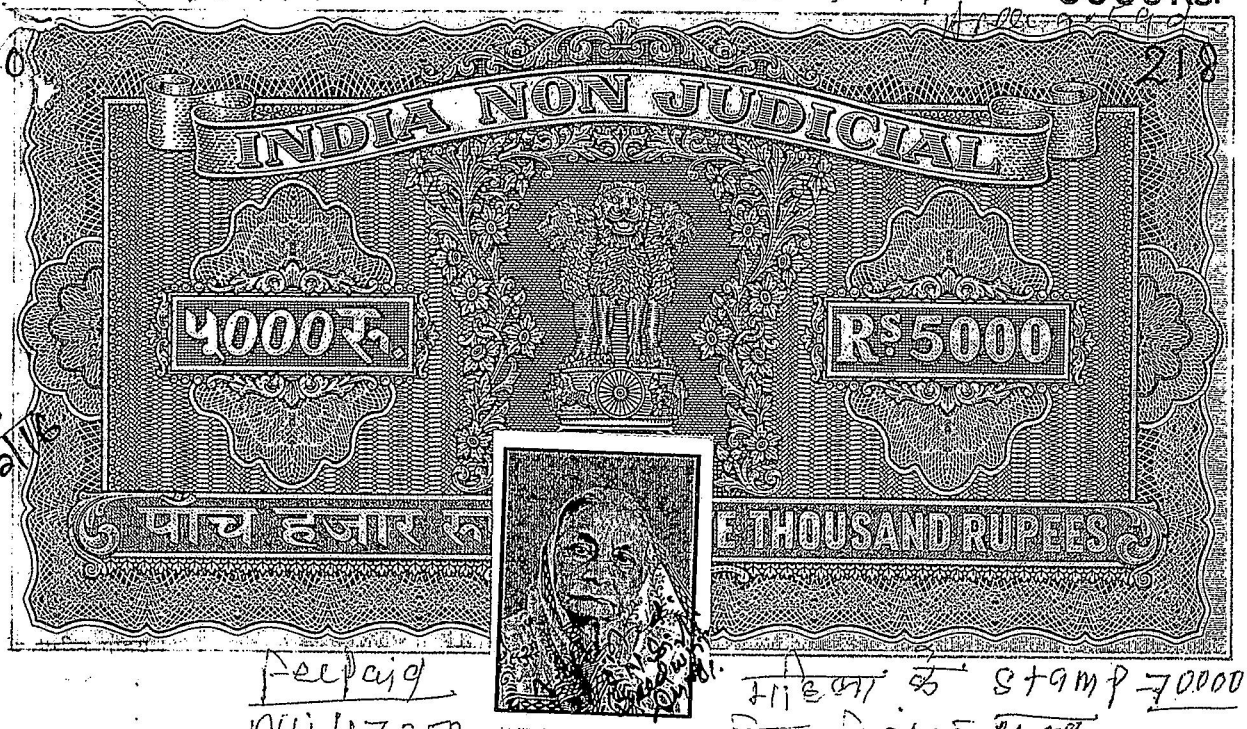

5000Rs.

SALE - DEED

नाम लेख्यकारी पति का नाम वो निवास स्थान आदि । (बिक्रेता)	श्रीमती कलावती देवी पति स्व० गिरधारी प्रसाद वर्मा जाति- कोयरी, पेशा- गृहिणी, निवास स्थान- ताराजोरी, थाना- मधुपुर, सवडिवीजन वो निबंधन कार्यालय देवघर, जिला देवघर, वर्त्तमान निवास स्थान- दर्जी महल्ला गिरिडीह थाना- गिरिडीह, जिला- गिरिडीह, झारखण्ड, भारतीय नागरिक। PAN No.- BDEPD-8305F
नाम लेख्यधारी पति का नाम वो निवास स्थान आदि। (क्रेता)	श्रीमती श्वेता झा पति श्री अजय कुमार झा जाति- ब्राह्मण, पेशा- गृहिणी, साकिन - रसिकपुर दुमका, थाना- दुमका टाउन, सवडिवीजन वो निबंधन कार्यालय दुमका, जिला दुमका, झारखण्ड, भारतीय नागरिक। PAN No.- AOSPJ 7115F

0.00132/16

23
8/8/16

70000=w

5000 X 14 =70000=

70000=

कलावती देवी
पति श्री गिरधारी ...
...
गिरीडीह ...

कलावती देवी
16/5/16.

10 सी-01
दुमका

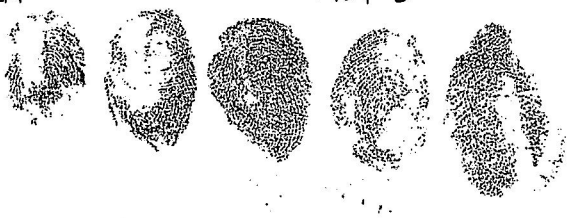

5000Rs.

(2)

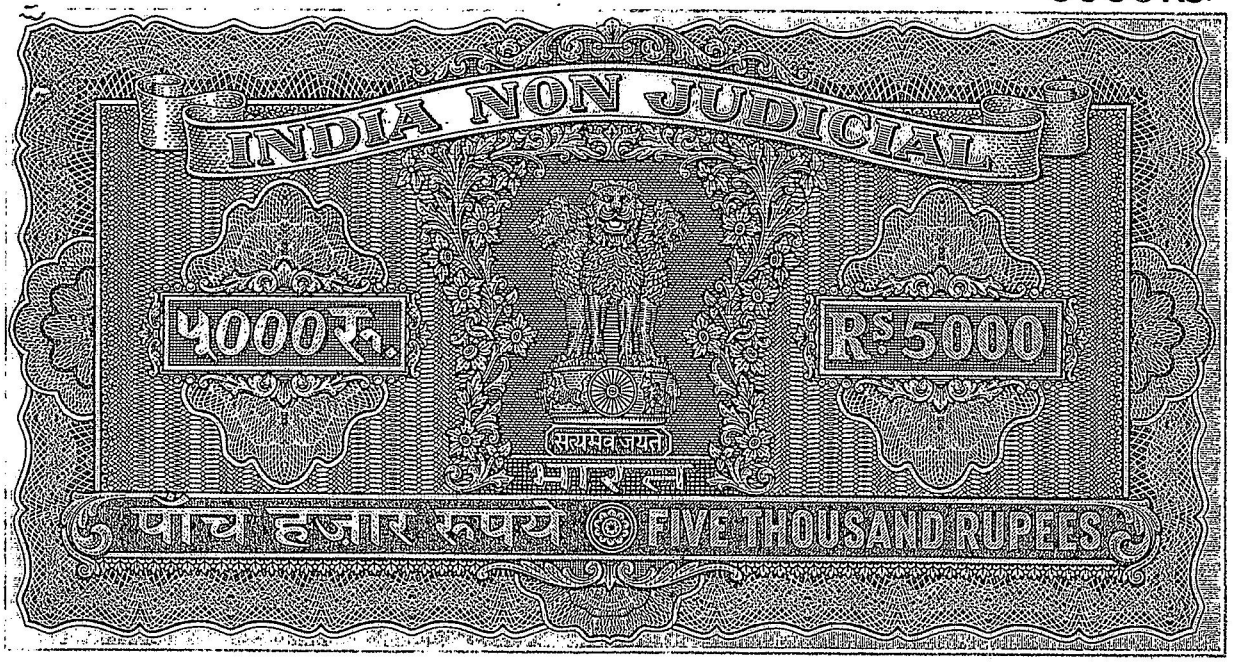

लेख्य प्रकार : - **बिक्रय-पत्र (Sale - Deed)**

संम्पति का मूल्य :- मो0 17,50,000/- (सत्रह लाख पचास हजार) रुपये मात्र।

सम्पत्ति का पूर्ण विवरण, जिसे विक्रय करते हैं। तफसील हक बसौड़ी परती सहन जमीन मय कुल हक वो अधिकार इत्यादि अन्दर मौजा रसिकपुर थाना नं0 - 02, तालुक घाट रसिकपुर, थाना दुमका टाउन सबडिविजन वो रजिस्ट्री ऑफिस दुमका, जिला दुमका का तौजी नम्बर 618, बसौड़ी का जमाबन्दी नम्बर 149/1, नगरपालिका वार्ड नम्बर मौजूदा -1, जिसका मानचित्र शामिल दस्तावेज में संलग्न है, जिसमें बिक्रीत सम्पत्ति को लाल रंग से दर्शाया गया है, जिसका दाग नं0, चौहद्दी एवं रकवा निम्न प्रकार है :-

Ajay Kumar Verma
At-Dargee Muhalla
PO+PS+Dist-Giridih
16/5/16

5000Rs.

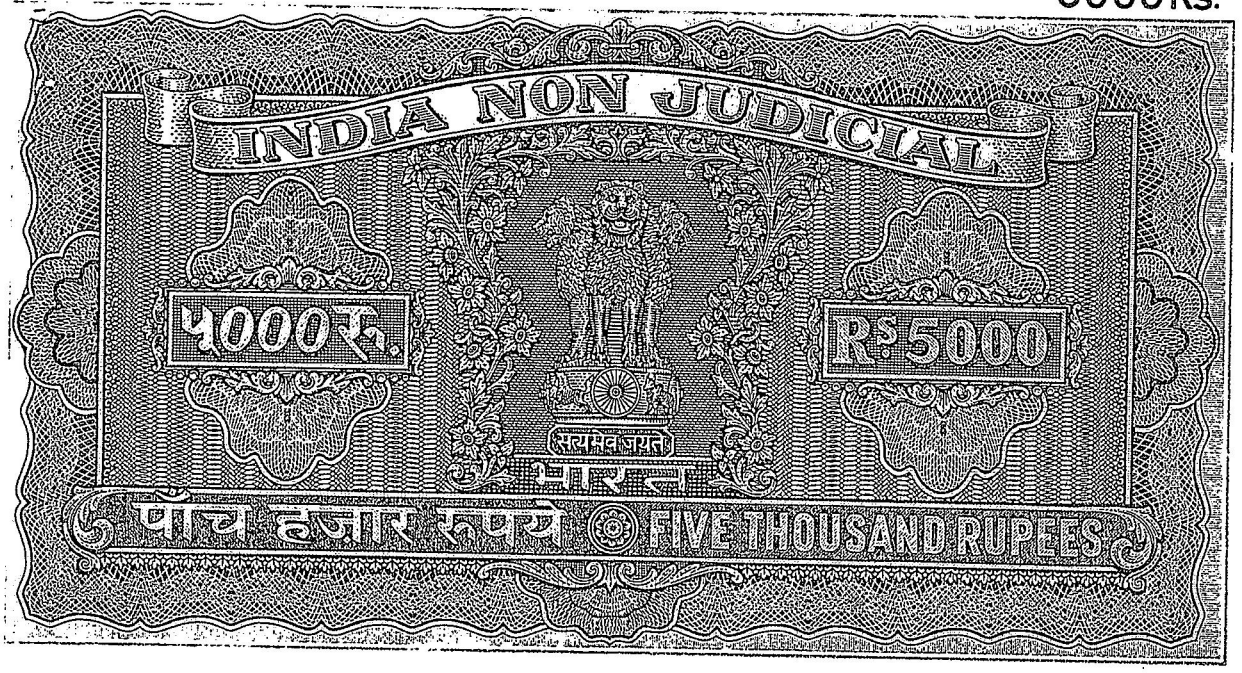

दाग नम्बर	चौहद्दी	किस्म ए0 - डि0
900 (नौ सौ का अंश ।)	उत्तर - दाग नम्बर 507 नया । दक्षिण - पक्की सड़क । पुरब - इसी दाग का अंश जमीन पुराना बगान । पश्चिम - इसी दाग का अंश जमीन ।	इसी चौहद्दी के अन्दर बसौड़ी स्वत्व की परती जमीन मय कुल हक वो अधिकार इत्यादि रकवा - मवाजी - 00-05-15 ए० डी० 00 - 9.59 डि०

पाँच कट्ठा पन्द्रह धूर मात्र । सलाना खजाना मोताबिक रसीदी ।

विदित हो कि उपरोक्त सम्पति को लेख्यकारिणी के स्वर्गीय

पति गिरधारी प्रसाद वर्मा ने अपने जीवन काल में बजरिये बिक्रय

पत्र संख्या 2289, जिल्द संख्या 2, पृष्ठ संख्या 424 से 429

5000Rs.

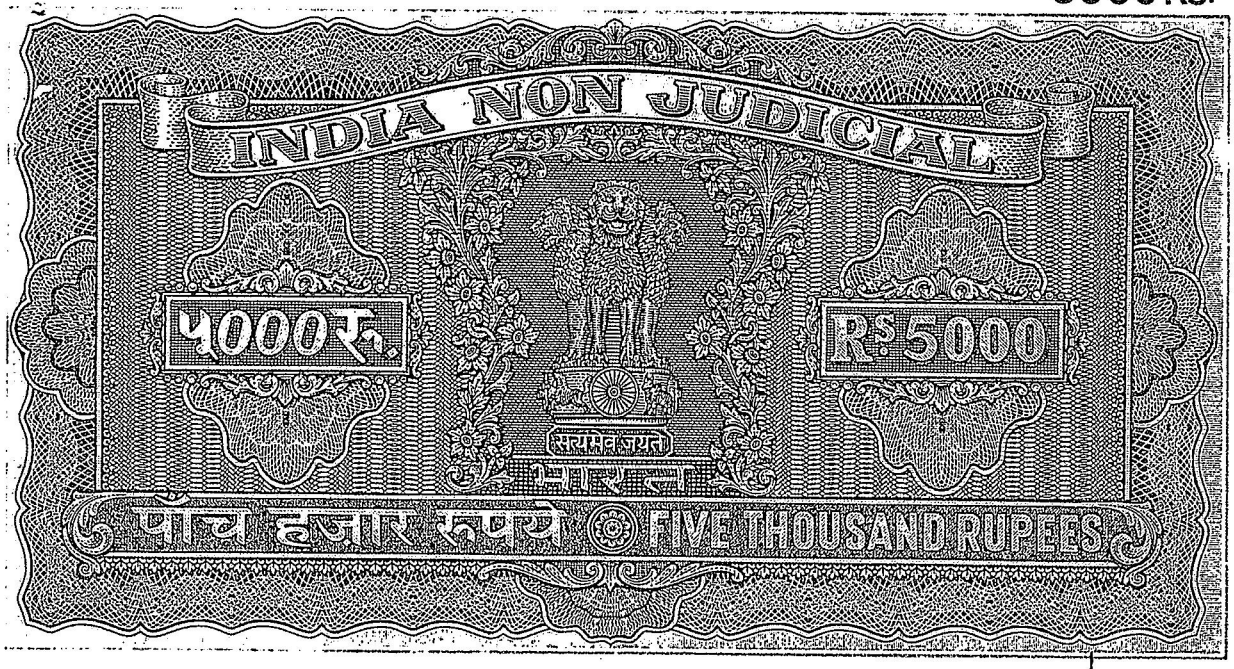

(4)

पुस्तक संख्या 01, सन् 1984 ई० जिस बिक्रय पत्र की रजिस्ट्री

दुमका निबंधन कार्यालय में हुई है के द्वारा श्री सुकुमार गोराईं, श्री

राम कुमार गोराईं, श्री विष्णु कुमार गोराईं वो श्री सदानन्द गोंराईं

सबों के पिता स्व० जितेन्द्र नाथ गोराईं से अपने नाम से क्रय कर

तथा अपना नाम अंचल कार्यालय, दुमका के नामान्तरण वाद

संख्या- 36/2006-07 में पारित आदेश दिनांक- 22.07.2006

के द्वारा अपना नाम पंजी **II** में दर्ज करवा कर साल-ब-साल

5000Rs.

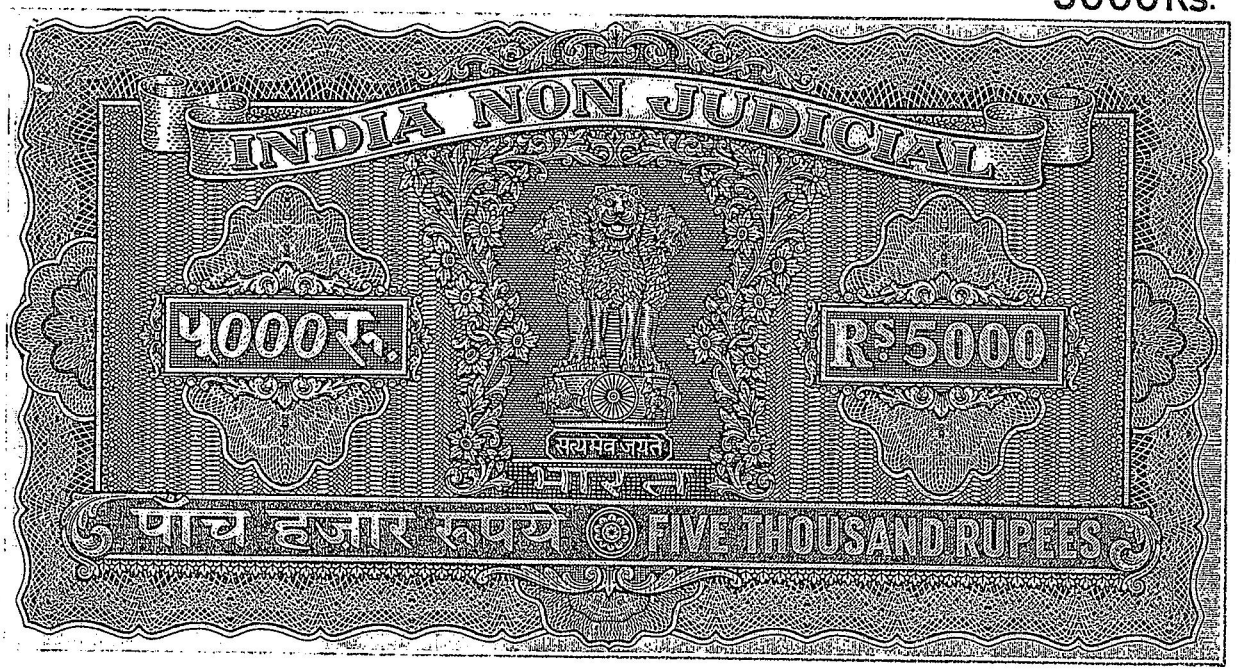

खजाना अपने से देते रहे। उनके स्वर्गवास के बाद उनकी धर्मपत्नी कलावती देवी परिवार की कर्त्ता होने के कारण उपरोक्त सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी हैं। उपरोक्त सम्पत्ति बसौड़ी है जिस पर लेख्यकारिणी का दखल-कब्जा निर्विवाद रूप से है तथा इसे बिक्रय करने का सम्पूर्ण अधिकार लेख्यकारिणी को प्राप्त है।

(यह कि वर्णित जमीन को श्री जितेन्द्र नाथ गोराईं ने अपने जीवनकाल में माननीय अवर प्रमंडल पदाधिकारी दुमका के न्यायालय

5000Rs.

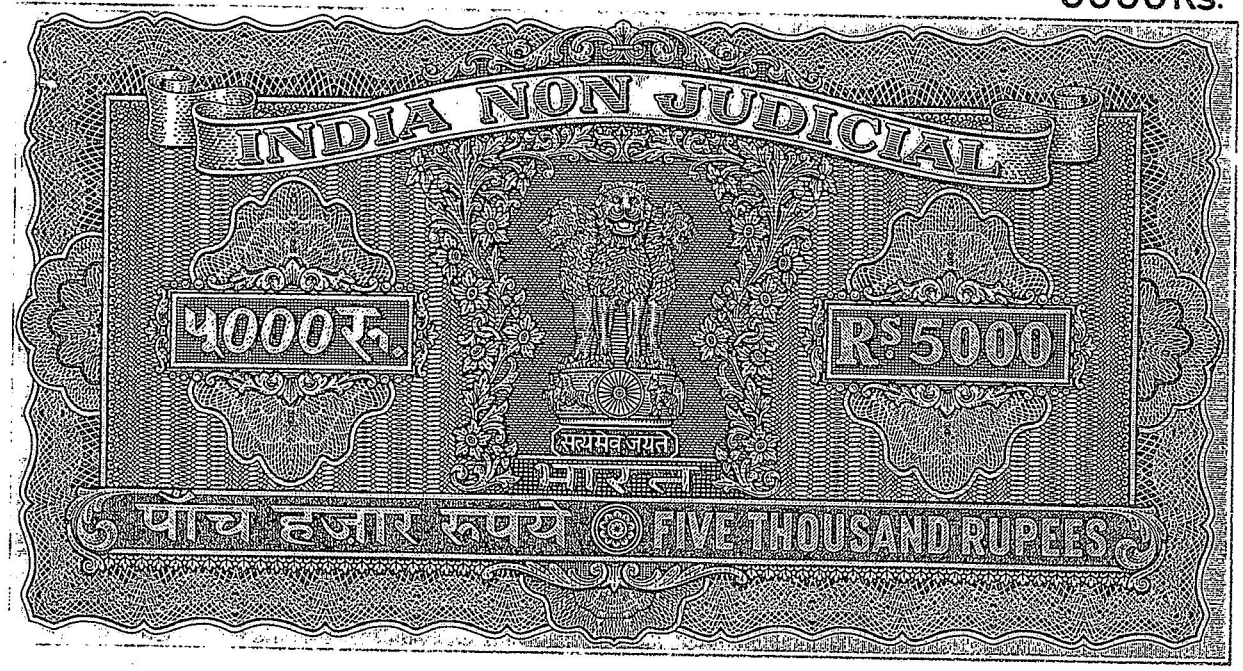

से एल.ए. वाद संख्या- 05/1944-45 में पारित आदेश दिनांक- 01:05.1945 ई० के द्वारा बसौड़ी बन्दोवस्त लेकर आजीवन सम्पत्ति का भोग-दखल करते रहे। उनके स्वर्गवास के बाद उनके पुत्रगण क्रमशः श्री सुकुमार गोराईं, श्री राम कुमार गोराईं, श्री विष्णु कुमार गोराईं वो श्री सदानन्द गोराईं ने माननीय अंचलाधिकारी, दुमका के न्यायालय से बजरिये ई.एल. वाद संख्या- 11/1969-70 ई० आदेश दिनांक- 09.02.1972 ई० के द्वारा

5000Rs.

बसौड़ी खज़ाना धार्य कराकर साल-ब-साल ख़जाना देते रहे ।)

वर्त्तमान में लेख्यकारिणी को अपने सांसारिक खर्च वो अन्यत्र अपना मकान आदि निर्माण करने के लिए रूपये का सख्त दरकार है वो बिना बिक्रय किए उपरोक्त बसौड़ी सम्पत्ति के रूपये का मिलना कठिन है, इसलिए लेख्यकारिणी ने उपरोक्त सम्पति को बिक्रय करने का शोहरत क़िया, ज़िसे आप क्रेता ने देखा वो मो० 17,50,000/- (सत्रह लाख पचास हजार) रूपये में क्रय करने

5000Rs.

की इच्छा बिक्रीदार पर प्रगट किया। यह कीमत वाजिब कीमत है और इस समय के बाज़ार दर का सर्वोच्च मूल्य समझा गया है, अतः बिक्रेता ने उक्त सम्पति को उक्त मूल्य में आप क्रेता को बिक्रय करने की अपनी रज़ामंदी जाहिर की। इस प्रकार इस सम्पति का मूल्य मो0 17,50,000/- (सत्रह लाख पचास हजार) रूपये में तय हुआ। इसलिए लेख्यकारिणी आज अपनी, खुशी राजी, अपने मन-मस्तिष्क एवं शरीर के इंद्रियों की स्वस्थ दशाओं में बिना कोई

5000Rs.

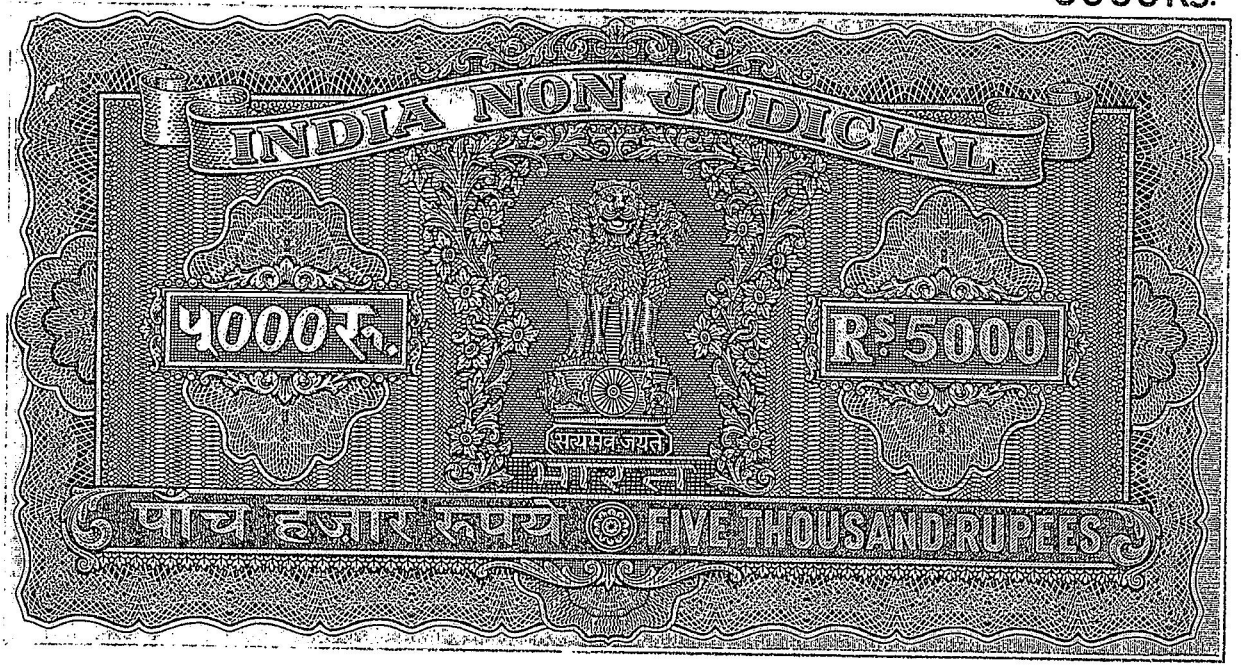

दबाव वो बहकाव प्रसन्नचित एवं स्वच्छन्द वातावरण में क्रेता से उपरोक्त सम्पत्ति का सम्पूर्ण तय मूल्य मो0 17,50,000/- (सत्रह लाख पचास हजार) रूपये बैंक आर.टी.जी.एस. के द्वारा क्रमशः मो० 10,00,000/- रूपये अपने पुत्रों के बैंक खाता में तथा मो० 7,50,000/- रूपये अपने खाता में कुल मो० 17,50,000/- (सत्रह लाख पचास हजार) रूपये लेकर वो प्राप्त कर खाना नम्बर 5 (पाँच) की बर्णित सम्पत्ति को क्रेता के हाथ बेचा वो बैलाकलामी

5000Rs.

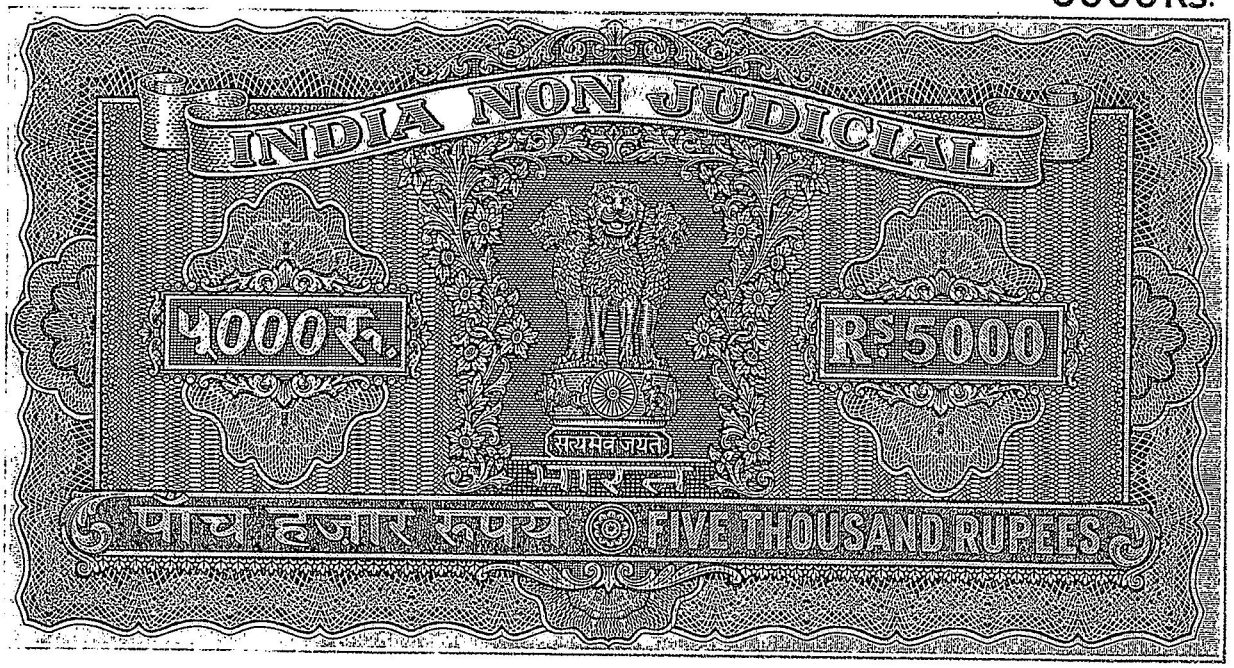

किया तथा बिक्रीत सम्पति का सम्पूर्ण मूल्य प्राप्त किया कुछ भी बाकी नहीं रहा । भविष्य में मूल्य न प्राप्त करने का दावा अमान्य वो वातिल होगा । यह कि लेख्यकारिणी द्वारा मूल्य का सम्पूर्ण रुपया आप क्रेता से प्राप्त कर उक्त सम्पति को आप क्रेता के पक्ष में बिक्रय कर दिया तथा लेख्यकारिणी ने उक्त सम्पति का स्वामित्व अधिकार वो कब्जा वजिनसहुँ (**Exactly**) आज की तारीख से अपने तुल्य अधिकार करा दिया, यानि दखल दे दिया । इस सम्पति

5000Rs.

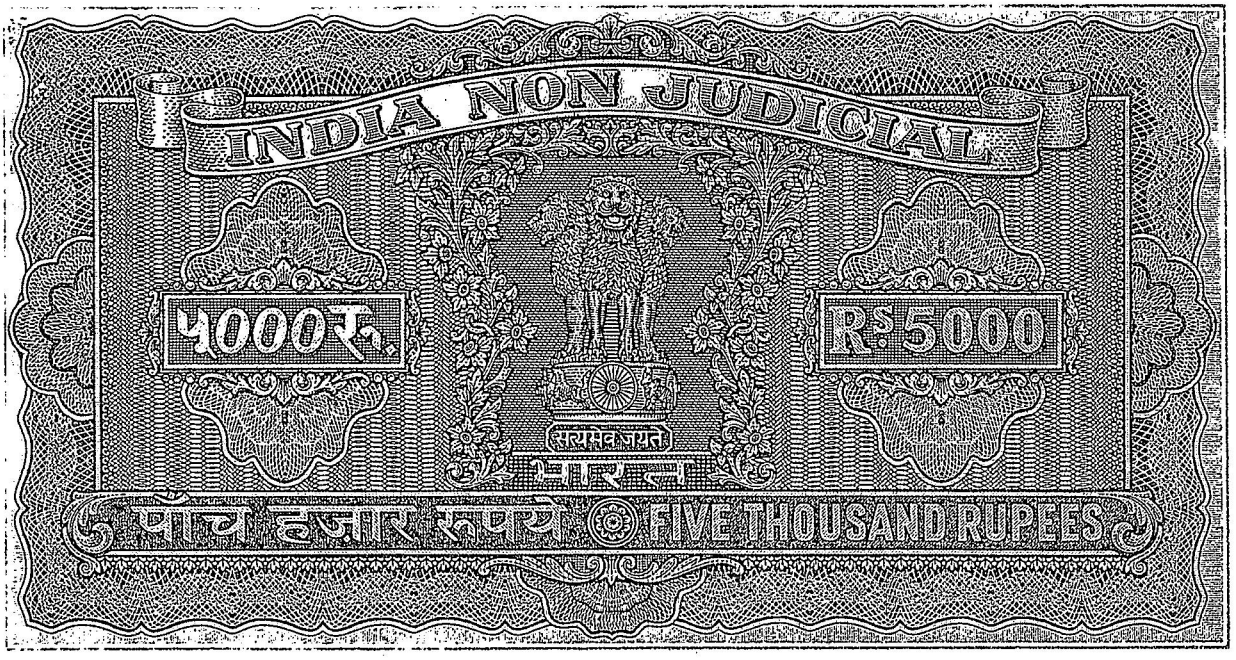

पर लेख्यकारिणी को जो स्वामित्व अधिकार प्राप्त है वो जो भविष्य में प्राप्त होता वो सभी स्वामित्व एवं अधिकार वजिनसहुँ आप क्रेता को आज की तिथि से प्राप्त हो गया।

यह सम्पत्ति हरेक वारदेन से पाक-साफ है यानि हर तरह के ऋण-भार से मुक्त है। फिर भी निकट भविष्य में उपरोक्त सम्पत्ति पर किसी तरह का हाल या प्राचीन ऋण-भार पाया जाय, ऐसी हालत में बिक्रेता मय वारिसान हर्जाना आदि भुगतान करने के लिये बाध्य हैं वो

5000Rs.

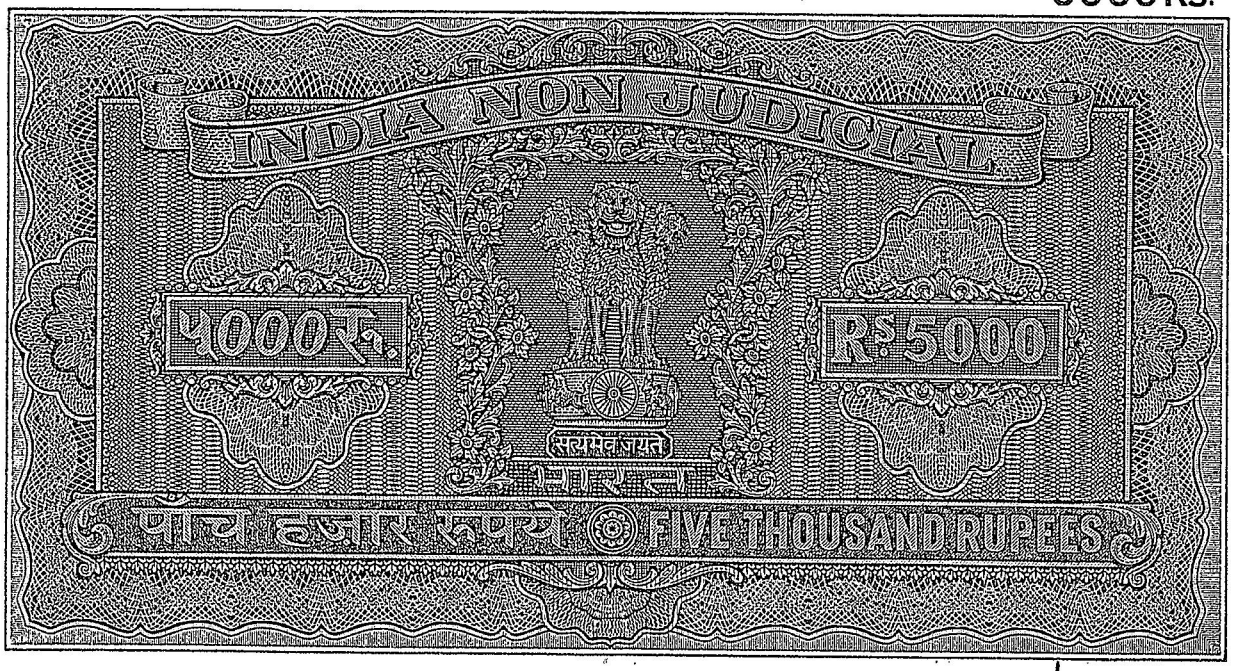

रहेंगी।

अब चाहिए कि क्रेता उपरोक्त सम्पत्ति को लेकर सरकारी सिरीस्ते में प्रचलित नाम कटवा कर खुद का नाम दर्ज करा लेवें वो साल-ब-साल सिरीस्ते में खजाना देकर वसूली का रसीद अपने नाम से प्राप्त किया करें वो वारिसानुक्रमेण उपरोक्त सम्पत्ति का भोग-दखल, दान-बिक्रय वो हस्तांतर अपनी इच्छानुसार जो चाहे करें, इसमें बिक्रेता मय वारिसान को किसी तरह की उजुर-आपत्ति नहीं होगी,

5000Rs.

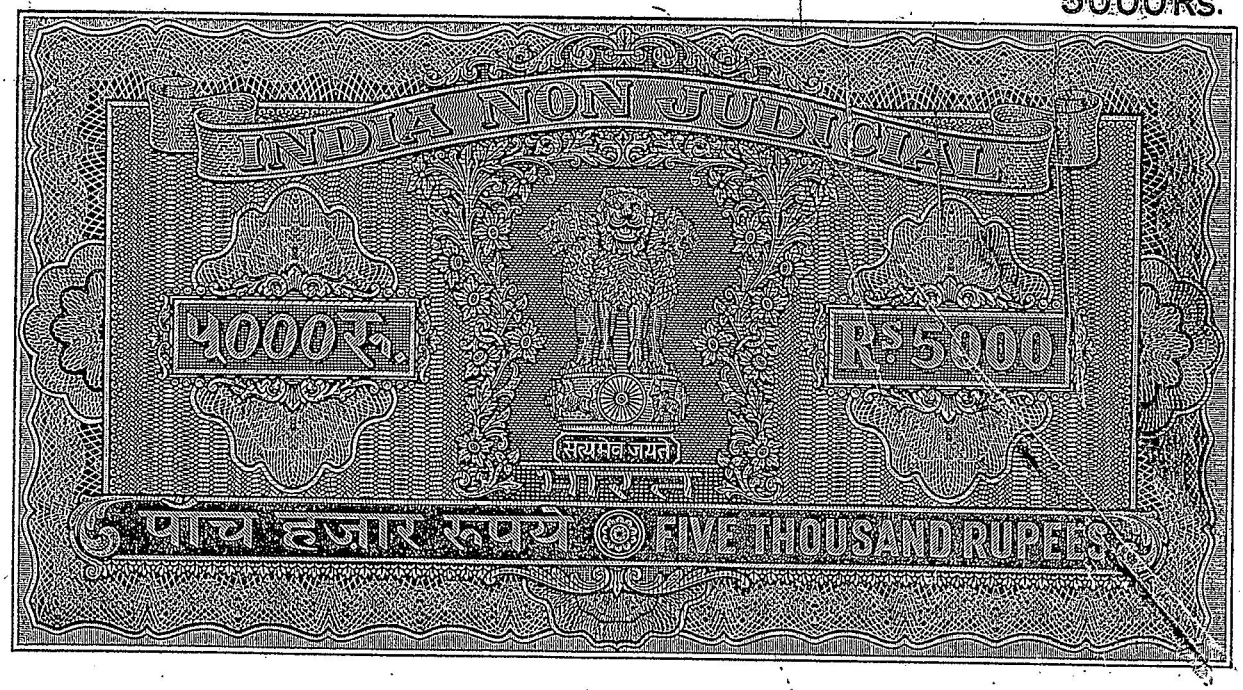

न कभी कर सकेंगे अगर कोई आपत्ति करे या करें तो वो कुल आपत्ति उचित न्यायालय में अमान्य वो वातिल होगी।

लेख्यकारिणी बिक्रेता अपनी राज़ी खुशी से प्रसन्नचित स्वस्थ, मस्तिष्क की स्वस्थ दशा में रहकर आप क्रेता श्रीमती श्वेता झा पति श्री अजय कुमार झा, से उक्त सम्पति का मूल्य का सम्पूर्ण रुपया प्राप्त कर यह बिक्रय पत्र आप क्रेता के पक्ष में लिख दिया जो प्रमाण रहे तथा समय पर काम आवें।

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

(14)

इति आज तारीख 16.05.2016 ई० ।

Anil Kumar Deo Jha
(कम्प्यूटर द्वारा टाईप किया)

उपरोक्त सम्पति अन्य सड़क के
किनारे है तथा आवासीय है ।

कातिब दस्तावेज ! - सुमेश्वर नाथ सिंह
साकिन - दुमका टाउन दस्तावेज
का मजमून तैयार किया टंकित
कराने के बाद पढ़कर लेख्यकारी
को सुना व समझा दिया।

सुमेश्वर नाथ सिंह
16/5/16

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक
व्यक्ति जिनका छाया चित्र दस्तावेज
में लगा है के बाँये हाथ की उँगलियों
का निशान मेरे द्वारा लिया गया
है। सुमेश्वर नाथ सिंह
दस्तावेज नवीस
दुमका
16/5/16.

Shweta Jha
16/5/016

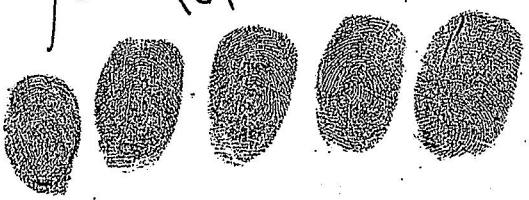

N

मौजा - रसिकपुर - नं०२
थाना - दुमका टाउन
सबडिविजन वो जिला - दुमका
स्केल - 1" = 50 फीट

विक्रेता - श्रीमती कलावती देवी पति स्व० गिरधारी प्रसाद वर्मा निवास स्थान - ताराजोरी थाना - मधुपुर जिला - देवघर

तौजी नं० - 618

क्रेता - श्रीमती श्वेता झा पति - श्री आलोक कुमार झा निवास स्थान - रसिकपुर थाना - दुमका टाउन सबडिविजन वो जिला - दुमका

S.

बसौडी/जमाबन्दी	दाग	रकबा
नं० 149	नं० 900	बी - क - धुर 0 - 5 - 15

बिक्री की गई जमीन का चिन्ह लाल रंग से दर्शाया गया है -

—चौहद्दी—

उ० - दाग नं० 507 नया
द० - पक्की सड़क
पु० - इसी दाग का अंश जमीन पुराना बगान
प० - इसी दाग का अंश जमीन

Traced by:
जग० मंडल
अमीन
दुमका